न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली—बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति डॉ साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
161/2023	2023/235	01.11.2023	17.10.2025

उनवान प्रकरण

सोनू पुत्र रोहिताश, जाति जाट, निवासी नहर रोड, हंस कॉलेज के पास, पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली—बहरोड, राजस्थान **वादी**

बनाम

1— गोदराज पुत्र हरिराम
2— मनीषा
3— पूजा
4— मोना पुत्रियांन हरिराम
5— कृष्णा देवी पत्नि अर्जुनलाल
6— बीरबल
7— मुकेश
8— विक्रम
9— सुशील पुत्रांन अर्जुनलाल
10— अंकित पुत्र हीरालाल
11— आशा देवी पत्नि हीरालाल
12— पूनम
13— प्रियांशु पुत्रियांन हीरालाल
14— कौशल्या देवी पत्नि कैलाश
15— जगदीश
16— मनीष
17— मोहित पुत्रांन कैलाश
18— मंजू
19— रेखा पुत्रियांन कैलाश
20— ममता देवी
21— मीरा देवी
22— हंसा देवी पुत्रियान उमरावलाल समस्त जातियान जाट, निवासी नहर रोड, हंस कॉलेज के पास, पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली—बहरोड, राजस्थान
23 जयराम पुत्र फूलचन्द
24— सूगला पुत्र मांगू समस्त जातियान जाट, निवासी भांकरी, तहसील पावटा,
25— सुरेशचन्द पुत्र हरसहाय, जाति जाट, निवासी पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली—बहरोड, राजस्थान
26— दयाराम पुत्र रतनलाल यादव, जाति अहीर, निवासी जोधपुरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान
27— महावीर प्रसाद पुत्र धूणारामं यादव, जाति अहीर, निवासी पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान
28— विजेन्द्र कुमार पुत्र सुलतान सिंह यादव, जाति अहीर, निवासी पवाना अहीर, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली—बहरोड, राजस्थान
29 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली—बहरोड, राजस्थान
30— श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला कोटपूतली—बहरोड, राजस्थान
प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली—बहरोड़)

31– अनिता देवी पत्नि स्व० रोहिताश
32– मोनिका
33 प्रिती
34– प्रियंका पुत्रियांन स्व० रोहिताश
35– प्रवीण पुत्र स्व० रोहिताश, नाबालिग जरिये संरक्षक माता अनिता देवी पत्नि स्व० रोहिताश समस्त जाति जाट, निवासी नहर रोड, हंस कॉलेज के पास, पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान **तरतीबी प्रतिवादीगण**

36– ममता पत्नि श्री अखिल चौधरी, जाति जाट, निवासी भाड भोजावास, वीर तेजाजी नगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

37– मन्जू कुमारी पत्नि श्री विकास गढवाल, जाति जाट, निवासी भोजावास, वीर तेजाजी नगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान **प्रतिवादीगण**

वादी वकील श्री जितेन्द्र रावत व राजाराम, सुरेन्द्र सिंह शेखावत
प्रतिवादी सं. 36 व 37 वकील श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी
प्रतिवादीगण शेष की एकपक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली बहरोड़)

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

1. वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 858 / 0.43, 859 / 0.58, 860 / 0.02, 861 / 0.01, 862 / 0.63, 874 / 0.45 हैक्टेयर वाके मौजा पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान में स्थित है। जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त आराजी के वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 28 सहखातेदार काश्तकार काबिज है तथा मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है, आज भी मौके पर काबिज–काश्त है। वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 28 अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 28 का वादी व तरतीबी प्रतिवदीगण के हिस्से की आराजी से कभी कोई लेना–देना ताल्लुक वास्ता नही रहा है । वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज–काश्त करते चले आ रहे है। आज भी मौके पर काबिज–काश्त है।

2. उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड शामिल में होने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 28 आये दिन डोल–डंडीर, कब्जा–काश्त, लगान आदि को लेकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त में मजाहमत पैदा करते हैं, पेड़ वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करनें, बिना विधिवत तकास्मा कराये आराजी को दीगर लोगों को आराजी को खुर्द–बुर्द मत करों, आराजी को दीगर लोगों को रहन बेचान मत करों । लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 28 नही मान रहे हैं तथा गत सप्ताह से आराजी का विधिवत तकास्मा कराये बिना दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी दे रहे है तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। समझाने से नही मानते है, गत सप्ताह से साफ इन्कारी है। इसलिए माननीय न्यायालय में दावा पेश करना लाजिम आया। यही बिनाय दावा है ।

3. बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत रोज इन्कारी प्रतिवादीगण से पैदा होती है अतः वाद अन्दर मियाद पेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के तहत नियत न्यायशुल्क पर वाद पेश है। रिहायश फरीकेन एंव वाका जायदाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनने व तैय करने का अधिकार है ।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

4. वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण दावेदार है कि एक किता डिकी तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 858/0.43, 859/0.58, 860/0.02, 861/0.01, 862/0.63, 874/0.45 हैक्टेयर वाके मौजा पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान का वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 28 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत तकास्मा किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार आराजी का तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी कदर कागजात माल में अमल दरामद किया जावे। अलग से पासबुक जारी की जावे। तथा वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे। या जो दादरसी न्यायहित में फरमाई जावे।

5 दावा काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। दिनांक 27.01.2025 प्रतिवादी सं. 36 व 37 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 26.06.2025 को बाद बहस स्वीकार किया गया। दिनांक 14.07.2025 को संशोधित टाईटल पेश किया जो स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी सं. 01 लगायत 28 व तरतीबी प्रतिवादी सं. 31 लगायत 34 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे इस कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 16.07.2025 को तरतीबी प्रतिवादी सं. 35 को बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 02.02.2023 को वकील प्रतिवादी सं. 36 0 37 ने जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तथा वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 29.08.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीदलार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवदेन किया जिस पर प्रतिवादी वकील ने अनापत्ति जाहिर कर वाद को तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार फाईनल डिक्री करने हेतू निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व बोर्ड के नियमों के अनुरूप तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर तैयार करवायी गयी है। तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

6 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा न0 858/0.43, 859/0.58, 860/0.02, 861/0.01, 862/0.63, 874/0.45 हैक्टेयर वाके मौजा पावटा, तहसील पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**आशा पत्नी हीरालाल हि. 5/56, अंकित पुत्र हीरालाल हि. 5/56, पूनम पुत्री हीरालाल हि. 5/56, प्रियाशु पुत्री हीरालाल हि. 5/56, हंसा देवी पुत्री उमरावलाल हि. 3/14, मीरा देवी पुत्री उमरावलाल हि. 3/14, ममता देवी पुत्री उमरावलाल हि. 3/14 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार**	**874/3/0.2125, 862/2/0.0175, 859/4/0.0933 कुल किता 03 रकबा 0.3233 हैक्ट0 भूमि।**

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2	गोदराज पुत्र हरिराम हि. 1/4, मनीषा पुत्री हरिराम हि. 1/4, पूजा पुत्री हरिराम हि. 1/4, मोना पुत्री हरिराम हि. 1/4 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	858/3 रकबा 0.0476 हैक्ट0 भूमि।
3	जगदीश पुत्र कैलाश हि. 4/21, कौशल्या पत्नी कैलाश हि. 3/21, मंजू पुत्री कैलाश हि. 3/21, रेखा पुत्री कैलाश हि. 3/21, मनीष पुत्र कैलाश हि. 4/21, मोहित पुत्र कैलाश हि. 4/21 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	859/3/0.0933, 874/2/0.2125, 862/1/0.0175 कुल किता 03 रकबा 0.3233 हैक्ट0 भूमि।
4	विक्रम पुत्र अर्जून हि. 1/9, मुकेश पुत्र अर्जून हि. 1/9, सुशील पुत्र अर्जून हि. 1/9, बीरबल पुत्र अर्जून हि. 1/9, कृष्णा देवी पत्नी अर्जून हि. 5/9 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	859/6/0.02, 858/1/0.1063, 862/4/0.46 कुल किता 03 रकबा 0.5863 हैक्ट0 भूमि।
5	दयाराम पुत्र रतनलाल हि. 1/3 जाति अहीर सा. जोधपुरा तह. थानागाजी (अलवर) महावीर पुत्र धूणाराम हि. 1/3 जाति अहीर सा.देह खातेदार विजेन्द्र पुत्र सुलतान हि. 1/3 जाति अहीर सा. पवाना अहीर	858/2 रकबा 0.0603 हैक्ट0 भूमि।
6	सूगला पुत्र मांगू हि. पूर्ण जाति जाट सा. भांकरी खातेदार	859/2 रकबा 0.0334 हैक्ट0 भूमि।
7	सोनु पुत्र रोहिताश हि. 1/36, मोनिका पुत्री रोहिताश हि. 1/36, प्रिति कुमारी पुत्री रोहिताश हि. 1/36, प्रियंका पुत्री रोहिताश हि. 1/36, प्रवीण पुत्र रोहिताश हि. 1/36, अनिता देवी पत्नी रोहिताश हि. 1/36, आशा पत्नी हीरालाल हि. 5/336, अंकित पुत्र हीरालाल हि. 5/336, पूनम जाट पुत्र हीरालाल हि. 5/336, प्रियांशु पुत्री हीरालाल 5/336, हंसादेवी पुत्री उमरावलाल हि. 1/28, मीरा देवी पुत्री उमरावलाल हि. 1/28, ममता देवी पुत्री उमरावलाल हि. 1/28, जगदीश पुत्र कैलाश हि. 2/63, कौशल्या पत्नी कैलाश हि. 1/42, गोदराज पुत्र हरिराम हि. 1/24, मनीषा पुत्री हरिराम हि. 1/24, पूजा पुत्री हरिराम हि. 1/24, मोना पुत्री हरिराम हि. 1/24, विक्रम पुत्र अर्जून हि. 29/840, मुकेश पुत्र अर्जून हि. 29/840, सुशील पुत्र अर्जून हि. 29/840, बीरबल पुत्र अर्जून हि. 29/840, कृष्णा देवी पत्नी अर्जून हि. 41/210, मंजू पुत्री कैलाश हि. 1/42, रेखा पुत्री कैलाश हि. 1/42, मनीष पुत्र कैलाश हि. 2/63, मोहित पुत्र कैलाश हि. 2/63 समस्त जाति जाट सा. देह खातेदार	859/5/0.0750, 862/3/0.0750, कुल किता 02 रकबा 0.15 हैक्ट0 भूमि।
8	गोदराज पुत्र हरिराम हि. 1/4, मनीषा पुत्री हरिराम हि. 1/4, पूजा पुत्री हरिराम हि. 1/4, मोना पुत्री हरिराम हि. 1/4 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	858/4/0.2158, 862/5/0.06 कुल किता 02 रकबा 0.2758 हैक्ट0 भूमि।
9	सोनू पुत्र रोहिताश हि. 1/6, मोनिका पुत्री रोहिताश हि. 1/6, प्रीति कुमारी पुत्री रोहिताश हि. 1/6, प्रियंका पुत्री रोहिताश हि. 1/6, प्रवीण पुत्र रोहिताश हि. 1/6, अनिता देवी पत्नी रोहिताश हि. 1/6 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	859/1/0.2650, 874/1/0.0250 कुल किता 03 रकबा 0.29 हैक्ट0 भूमि।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

नोटः– तहसीलदार पावटा अनुसार खसरा नम्बर 861/0.01 गै.मु. आबादी और खसरा नम्बर 860/0.02 किस्म खारड़ा होने के कारण सामलाती रखा गया है।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ. साधाना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
161/2023	2023/235	01.11.2023	17.10.2025

उनवान प्रकरण

सोनू पुत्र रोहिताश, जाति जाट, निवासी नहर रोड, हंस कॉलेज के पास, पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान **वादी**

बनाम

1– गोदराज पुत्र हरिराम
2– मनीषा
3– पूजा
4– मोना पुत्रियांन हरिराम
5– कृष्णा देवी पत्नि अर्जुनलाल
6– बीरबल
7– मुकेश
8– विक्रम
9– सुशील पुत्रांन अर्जुनलाल
10– अंकित पुत्र हीरालाल
11– आशा देवी पत्नि हीरालाल
12– पूनम
13– प्रियांशु पुत्रियांन हीरालाल
14– कौशल्या देवी पत्नि कैलाश
15– जगदीश
16– मनीष
17– मोहित पुत्रांन कैलाश
18– मंजू
19– रेखा पुत्रियांन कैलाश
20– ममता देवी
21– मीरा देवी
22– हंसा देवी पुत्रियान उमरावलाल समस्त जातियान जाट, निवासी नहर रोड, हंस कॉलेज के पास, पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
23 जयराम पुत्र फूलचन्द
24– सूगला पुत्र मांगू समस्त जातियान जाट, निवासी भांकरी, तहसील पावटा,
25– सुरेशचन्द पुत्र हरसहाय, जाति जाट, निवासी पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
26– दयाराम पुत्र रतनलाल यादव, जाति अहीर, निवासी जोधपुरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान
27– महावीर प्रसाद पुत्र धूणाराम यादव, जाति अहीर, निवासी पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान
28– विजेन्द्र कुमार पुत्र सुलतान सिंह यादव, जाति अहीर, निवासी पवाना अहीर, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
29 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
30– श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

31– अनिता देवी पत्नि स्व० रोहिताश
32– मोनिका
33 प्रिती
34– प्रियंका पुत्रियांन स्व० रोहिताश
35– प्रवीण पुत्र स्व० रोहिताश, नाबालिग जरिये संरक्षक माता अनिता देवी पत्नि स्व० रोहिताश समस्त जाति जाट, निवासी नहर रोड, हंस कॉलेज के पास, पावटा, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान **तरतीबी प्रतिवादीगण**
36– ममता पत्नि श्री अखिल चौधरी, जाति जाट, निवासी भाड भोजावास, वीर तेजाजी नगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान
37– मन्जू कुमारी पत्नि श्री विकास गढवाल, जाति जाट, निवासी भोजावास, वीर तेजाजी नगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान **प्रतिवादीगण**
वादी वकील श्री जितेन्द्र रावत व राजाराम, सुरेन्द्र सिंह शेखावत
प्रतिवादी सं. 36 व 37 वकील श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी
प्रतिवादीगण शेष की एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा न0 858/0.43, 859/0.58, 860/0.02, 861/0.01, 862/0.63, 874/0.45 हैक्टेयर वाके मौजा पावटा, तहसील पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	आशा पत्नी हीरालाल हि. 5/56, अंकित पुत्र हीरालाल हि. 5/56, पूनम पुत्री हीरालाल हि. 5/56, प्रियाशु पुत्री हीरालाल हि. 5/56, हंसा देवी पुत्री उमरावलाल हि. 3/14, मीरा देवी पुत्री उमरावलाल हि. 3/14, ममता देवी पुत्री उमरावलाल हि. 3/14 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	874/3/0.2125, 862/2/0.0175, 859/4/0.0933 कुल किता 03 रकबा 0.3233 हैक्ट0 भूमि।
2	गोदराज पुत्र हरिराम हि. 1/4, मनीषा पुत्री हरिराम हि. 1/4, पूजा पुत्री हरिराम हि. 1/4, मोना पुत्री हरिराम हि. 1/4 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	858/3 रकबा 0.0476 हैक्ट0 भूमि।
3	जगदीश पुत्र कैलाश हि. 4/21, कौशल्या पत्नी कैलाश हि. 3/21, मंजू पुत्री कैलाश हि. 3/21, रेखा पुत्री कैलाश हि. 3/21, मनीष पुत्र कैलाश हि. 4/21, मोहित पुत्र कैलाश हि. 4/21 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	859/3/0.0933, 874/2/0.2125, 862/1/0.0175 कुल किता 03 रकबा 0.3233 हैक्ट0 भूमि।
4	विक्रम पुत्र अर्जून हि. 1/9, मुकेश पुत्र अर्जून हि. 1/9, सुशील पुत्र अर्जून हि. 1/9, बीरबल पुत्र अर्जून हि. 1/9, कृष्णा देवी पत्नी अर्जून हि. 5/9 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	859/6/0.02, 858/1/0.1063, 862/4/0.46 कुल किता 03 रकबा 0.5863 हैक्ट0 भूमि।
5	दयाराम पुत्र रतनलाल हि. 1/3 जाति अहीर सा. जोधपुरा तह. थानागाजी (अलवर) महावीर पुत्र धूणाराम हि. 1/3 जाति अहीर सा.देह खातेदार विजेन्द्र पुत्र सुलतान हि. 1/3 जाति अहीर सा. पवाना अहीर	858/2 रकबा 0.0603 हैक्ट0 भूमि।
6	सूगला पुत्र मांगू हि. पूर्ण जाति जाट सा. भांकरी खातेदार	859/2 रकबा 0.0334 हैक्ट0 भूमि।

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

7	सोनु पुत्र रोहिताश हि. 1/36, मोनिका पुत्री रोहिताश हि. 1/36, प्रिति कुमारी पुत्री रोहिताश हि. 1/36, प्रियंका पुत्री रोहिताश हि. 1/36, प्रवीण पुत्र रोहिताश हि. 1/36, अनिता देवी पत्नी रोहिताश हि. 1/36, आशा पत्नी हीरालाल हि. 5/336, अंकित पुत्र हीरालाल हि. 5/336, पूनम जाट पुत्र हीरालाल हि. 5/336, प्रियांशु पुत्री हीरालाल 5/336, हंसादेवी पुत्री उमरावलाल हि. 1/28, मीरा देवी पुत्री उमरावलाल हि. 1/28, ममता देवी पुत्री उमरावलाल हि. 1/28, जगदीश पुत्र कैलाश हि. 2/63, कौशल्या पत्नी कैलाश हि. 1/42, गोदराज पुत्र हरिराम हि. 1/24, मनीषा पुत्री हरिराम हि. 1/24, पूजा पुत्री हरिराम हि. 1/24, मोना पुत्री हरिराम हि. 1/24, विक्रम पुत्र अर्जून हि. 29/840, मुकेश पुत्र अर्जून हि. 29/840, सुशील पुत्र अर्जून हि. 29/840, बीरबल पुत्र अर्जून हि. 29/840, कृष्णा देवी पत्नी अर्जून हि. 41/210, मंजू पुत्री कैलाश हि. 1/42, रेखा पुत्री कैलाश हि. 1/42, मनीष पुत्र कैलाश हि. 2/63, मोहित पुत्र कैलाश हि. 2/63 समस्त जाति जाट सा. देह खातेदार	859/5/0.0750, 862/3/0.0750, कुल किता 02 रकबा 0.15 हैक्ट0 भूमि।
8	गोदराज पुत्र हरिराम हि. 1/4, मनीषा पुत्री हरिराम हि. 1/4, पूजा पुत्री हरिराम हि. 1/4, मोना पुत्री हरिराम हि. 1/4 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	858/4/0.2158, 862/5/0.06 कुल किता 02 रकबा 0.2758 हैक्ट0 भूमि।
9	सोनू पुत्र रोहिताश हि. 1/6, मोनिका पुत्री रोहिताश हि. 1/6, प्रीति कुमारी पुत्री रोहिताश हि. 1/6, प्रियंका पुत्री रोहिताश हि. 1/6, प्रवीण पुत्र रोहिताश हि. 1/6, अनिता देवी पत्नी रोहिताश हि. 1/6 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	859/1/0.2650, 874/1/0.0250 कुल किता 03 रकबा 0.29 हैक्ट0 भूमि।

नोटः– तहसीलदार पावटा अनुसार खसरा नम्बर 861/0.01 गै.मु. आबादी और खसरा नम्बर 860/0.02 किस्म खारड़ा होने के कारण सामलाती रखा गया है। तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला-कोटपूतली बहरोड़

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	